दैनिक भास्कर
2-12-2016, शुक्रवार

भोपाल से आए भारतीय मानक ब्यूरो के अधिकारी, सोना-चांदी फर्मों पर जांच

उज्जैन | भारतीय मानक ब्यूरो भोपाल के अधिकारियों के दल ने गुरुवार को शहर के कई सोना-चांदी कारोबारियों के प्रतिष्ठानों पर जाकर जांच की। फ्रीगंज के दो प्रतिष्ठानों के अलावा लखेरवाड़ी में भी दो व्यापारियों की दुकानों पर जाकर अधिकारियों ने हॉलमार्क को लेकर सोने की शुद्धता आदि की जांच की। भारतीय मानक ब्यूरो के दल के आने और जांच की सूचना मिलते ही शहर के सभी सोना-चांदी कारोबारियों के बीच हड़कंप मच गया। हालांकि व्यापारी इसे सामान्य जांच प्रक्रिया बता रहे हैं।

http://naidunia epaper.jagran.com/...

Dream it.
Book it.
Live it.
Experience all the more comfort
Lufthansa
Discover more

नईदुनिया

2-12-2016

जांच : बगैर हॉलमार्क लगी ज्वेलरी जब्त, शिकायत पर भोपाल से आई टीम

चार ज्वेलर्स के यहां भारतीय मानक ब्यूरो के छापे, हड़कंप

ज्वेलरी शॉप पर जांच करते हुए दल।

उज्जैन। ब्यूरो

भारतीय मानक ब्यूरो की भोपाल से आई टीम ने गुरुवार को शहर में चार ज्वेलर्स के यहां छापेमार कार्रवाई की। दुकानों पर बगैर आईएसआई हॉलमार्क वाले जेवरों की बिक्री हो रही थी। जिस पर जेवरों को जब्त किया गया है। छापेमारी की जानकारी लगते ही सराफा में हड़कंप मच गया।

भारतीय मानक ब्यूरो की भोपाल शाखा की वैज्ञानिक ई एवं प्रमुख प्रीति भटनागर ने बताया, लगातार सूचना मिल रही थी कि उज्जैन में बगैर हॉलमार्क के जेवरों की बिक्री की जा रही है। इस पर कार्रवाई करते हुए गुरुवार को भोपाल से 8 अधिकारियों का दल उज्जैन पहुंचा। यहां दल दो टीमों में विभाजित हो गया। इसके बाद पुलिस के सहयोग से फ्रीगंज स्थित मेसर्स अलंकार ज्वेलर्स, श्री महावीर ज्वेलर्स, श्री शीतला ज्वेलर्स एवं श्री भैरव सिल्वर पर सर्चिंग की गई। यहां बिना बगैर हॉलमार्क के जेवरों की बिक्री की जा रही थी।

इस पर जेवर जब्त किए हैं। चारों ज्वेलर्स के खिलाफ कार्रवाई का मामला कोर्ट में पेश किया जाएगा। कार्रवाई की जानकारी लगते ही पुराने शहर में स्थित सराफा बाजार में भी हड़कंप मच गया। कुछ दुकानदारों ने अपने प्रतिष्ठान बंद कर लिए। उल्लेखनीय है कि भारतीय मानक ब्यूरो 1986 के तहत स्टैंडर्ड आईएसआई मार्क का दुरुपयोग करने पर धारा 33 के तहत 50 हजार रुपए का जुर्माना तथा एक साल तक की कैद का प्रावधान है।

अफसरों ने कहा- जेवर खरीदें तो जरूर देखें हॉलमार्क

ब्यूरो की वैज्ञानिक प्रीति भटनागर ने अनुरोध जेवरों की खरीदी करते समय यह ध्यान रखें कि [illegible] पर ही हॉलमार्क लगा है या नहीं। इसके अलावा खरीदी का सही बिल जरूर लें। यदि हॉलमार्क ज्वेलरी की शुद्धता में किसी प्रकार का संदेह हो तो इसकी शिकायत भारतीय मानक ब्यूरो से कर सकते हैं। शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

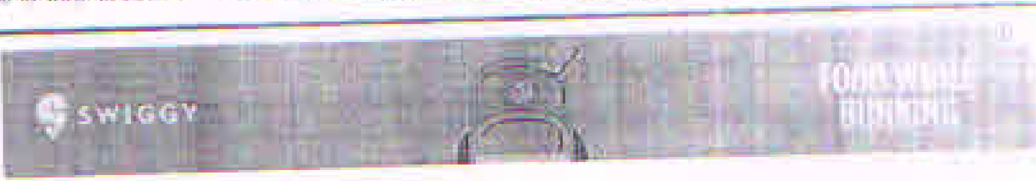

पत्रिका
2-12-2016, शुक्रवार

ज्वैलर्स की दुकानों पर पहुंची भारतीय मानक ब्यूरो की टीम...

हॉलमार्क देख जेवर जब्त, बाजार में खलबली, बंद हुईं दुकानें

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

उज्जैन. हॉलमार्क को लेकर गुरुवार को भारतीय मानक ब्यूरो ने सोना-चांदी दुकानों पर जांच की। दल के पहुंचते ही बाजार में खलबली मच गई। जिस ज्वैलर्स से कार्रवाई की सूचना मिली वह दुकान बंद कर चला गया। बिना लाइसेंस हॉलमार्क के आभूषण रखने पर दल ने कुछ दुकानों से ज्वैलरी जब्त की है।

हॉलमार्क के आभूषण बेचने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) से लाइसेंस लेना आवश्यक है। शहर में कई ज्वैलर्स बिना लाइसेंस लिए ही हॉलमार्क के आभूषण बेचने का दावा करते हैं। यहां तक कि कुछ ने दुकानों पर हॉलमार्क के बोर्ड भी लगा रखे हैं। इसको लेकर भोपाल से आई बीआईएस की टीम ने फ्रीगंज की कुछ सोना-चांदी दुकानों पर दबिश दी। टीम ने बिना लाइसेंस वाली दुकान में हॉलमार्क के आभूषण तलाशे। जिन दुकानों से हॉलमार्क के लगे आभूषण मिले, उन्हें जब्त कर प्रकरण बनाए गए। कार्रवाई के दौरान एक दुकान पर दल और व्यापारी के बीच खासी बहस भी हुई।

[illegible]

कार्रवाई की सूचना पर धड़ाधड़ गिरे शटर

[illegible]

पत्नी की ज्वैलरी थी, वही जब्त कर ली

[illegible]

जानकारी देने से बचता रहा दल

[illegible]

[illegible]

[illegible]

अब आगे क्या

[illegible]